उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–1118/दो–9–2018–4(1001)/2017
लखनऊ, दिनॉक 04 जून, 2018

कार्यालय –ज्ञाप

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–सा–4–62/दस–96/604 /82, दिनॉक 18 मार्च, 1996 व संख्या–सा–4–161/दस–98–604/82, दिनॉक 28.02.98 तथा संख्या–सा–4–670/दस–99/604 /82,टी0सी0, दिनॉक 11.01.2000 एवं संख्या–सा–4–632/दस–2000/604/82,टी0सी0, दिनॉक 05.09.2000 तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या संख्या–जी–2–799/दस–2003/604/82, दिनॉक 24.05.2003 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कलैण्डर वर्ष 2018 में श्री दिवांशु कुमार, संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग को लखनऊ से बंगलौर (कर्नाटक) जाने एवं वापस आने हेतु उन्हे 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर मिलने वाली अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाती है। यह तृतीय अवकाश यात्रा है। उपर्युक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करेन हेतु श्री दिवांशु कुमार, संयुक्त सचिव को दिनांक 16.06.2018 से 02.07.2018 तक कुल 17 दिन का उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है।

2– यह स्वीकृति श्री दिवांशु कमार, संयुक्त सचिव को उनकी पत्नी एवं 01 पुत्री के साथ अनुमन्य श्रेणी में यात्रा करने के लिए प्रदान की जाती है। उक्त अवकाश यात्रा के लिए श्री दिवांशु कुमार, संयुक्त सचिव को अनुमानित व्यय रू0–18,330/– के सापेक्ष इसके 4/5 भाग की धनराशि रू0 14,664/–(रूपये चौदह हजार छः सौ चौसठ मात्र) यात्रा अग्रिम भी स्वीकृत किया जाता है।

3– अग्रिम की स्वीकृति के आहरण से 30 दिन के अन्दर यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है, तो अग्रिम की पूर्ण धनराशि एकमुश्त वापस वसूल ली जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक को अपना दावा यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा एवं चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 में उसका समायोजन सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

4– उक्त अवकाश यात्रा पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–78 के लेखाशीर्षक **"2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–आयोजनेत्तर–090–सचिवालय–03–सचिवालय/ मुख्य–45–अवकाश यात्रा व्यय"** के नामें डाला जायेगा।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या–1118(1)/दो–9–2018, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– इरला चेक अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
3– सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधिष्ठान)।
4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–4
5– विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग।
6– श्री दिवांशु कुमार, संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– अनुभागीय आदेश पुस्तिका
8– कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

LTC